छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय हेतु वाहन किराये के लिए दर निर्धारण एवं फर्मों के इम्पैनलमेन्ट हेतु द्वितीय निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक–1673 नवा रायपुर दिनांक– 22/10/2020

//निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 590/– जीएसटी सहित(वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 20,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03.11.2020 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03.11.2020 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 03.11.2020 समय 4:00 बजे सायं से

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर छ.ग. फोन नं. 0771–2512536

Web :- http://samvad.cg.nic.in/, Email :- cgsamvadadvt@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
फोन– 0771–2512536

दर निर्धारण, इम्पैनलमेन्ट हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद के अधिकारी कर्मचारियों के लिए रायपुर से नवा रायपुर स्थित कार्यालय आने–जाने एवं कार्यालयीन उपयोग हेतु मासिक किराये में वाहन, बस एवं ट्रेवलर बस की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा पंजीकृत वाहन उपलब्ध कराने बाबत छत्तीसगढ़ राज्य के फर्मों से मुहरबंद द्वितीय निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

क्र.	निविदा	निविदा क्रमांक एवं दिनांक	निविदा प्रपत्र शुल्क, **GST** सहित (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि (दोपहर 2:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि (दोपहर 3:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि
1	वाहन किराया	1673 22.10.2020	590/–	20,000/–	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020 (सायं 4:00बजे)
2	बस	1674 22.10.2020	1180/–	50,000/–	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020 (सायं 4:30बजे)
3	ट्रेवलर बस	1675 22.10.2020	1180/–	50,000/–	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020 (सायं 5:00बजे)

उपरोक्त निर्धारित तिथि के अपरान्ह् 3:00 बजे तक निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में **छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक FF-12** में जमा किया जा सकता है। अपरान्ह् 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट http://samvad.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

<u>वाहन किराये से लिए दर निर्धारण एवं फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु</u>

<u>निर्धारित नियम एवं शर्ते(द्वितीय निविदा)</u>

1. प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी. चलित सम्मिलित हैं। जिसके पेट्रोल/डीजल एवं अन्य सभी व्यय वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
2. प्रतिमाह किराये दर में वाहन 3000 कि.मी. चलित सम्मिलित है। जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
3. वाहन प्रतिदिन दर में 100 कि.मी. या प्रतिमाह दर में 3000 कि.मी. चलने के उपरांत अतिरिक्त कि. मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जाएगा। जिसमें पेट्रोल/डीजल एवं अन्य सभी व्यय वाहन मालिक द्वारा देय होगा। एक फर्म के एक से अधिक वाहन किराए पर लेने की स्थिति में अन्य वाहनों की कि.मी. रिडिंग एक साथ क्लब/सेटअप किया जाएगा। अर्थात एक वाहन 3000 कि.मी. से ज्यादा चलने एवं अन्य वाहन 3000 कि.मी. से कम चलने पर दोनों वाहन की कुल 6000 कि.मी. से ज्यादा कि.मी. रनिंग पर संबंधित वाहन के अतिरिक्त कि.मी. की न्यूनतम दर पर अतिरिक्त कि. मी. का भुगतान देय होगा।
4. वाहन मुख्यालय पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।
5. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जाएगा। वाहन का रोड टैक्स एवं बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वाहन चालक का वेतन एवं अन्य व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा, अन्यथा मासिक देयक में प्रतिदिन हेतु निर्धारित किराया दर पर कटौती की जाएगी। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो इसकी भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जाएगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।
7. वाहन के मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिए जाने की स्थिति में वाहन मालिक द्वारा दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्ययपूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।

8. किराये पर लिए गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जाएगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जाएगा

9. वाहन की लाग बुक/लाग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लाग बुक/लाग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।

10. आबंटित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में रहेगा। आबंटित वाहन का उपयोग वाहन उपलब्ध कराने वाले फर्म द्वारा अवकाश या अन्य दिवस में अन्य संस्था के लिए नहीं किया जाएगा।

11. वाहन किराया दर में सभी प्रकार के वैधानिक टैक्स सम्मिलित रहेंगे। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अलग से किसी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। जीएसटी पंजीयन होने की स्थिति में फर्मों को मात्र जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

12. देयक दो प्रतियों में मय लाग बुक/लाग कार्ड के साथ उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। लाग बुक वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

13. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। संवाद द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना कर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।

14. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जाएगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।

15. निविदाकर्ता के पास फर्म के नाम से कम से कम दो वाहन होना अनिवार्य है। वाहन अच्छी कंडीशन में होना अनिवार्य है एवं वाहन 2018 मॉडल से पूर्व की नहीं होना चाहिए एवं वाहन टैक्सी कोटे की होना चाहिए। वाहन के संबंध में शिकायत एवं अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जाएगा एवं देयक का भुगतान रोका जा सकता है।

16. निविदा दो पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफा टेक्निकल बिड का होगा, जिसमें पेनकार्ड की प्रति, कर निर्धारण वर्ष 2019–20 हेतु जमा आयकर रिटर्न के एकनॉलेजमेंट की प्रति, जीएसटी पंजीयन की प्रति (यदि पंजीकृत है तो), वाहन के दस्तावेज जिसमें वाहन का मॉडल एवं टैक्स, बीमा आदि के भुगतान संबंधी दस्तावेज तथा वाहन एवं वाहन चालकों की सूची, निर्धारित प्रारूप में रू. 50/– का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र रहेगी तथा निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 590/–(वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 20,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) का ''छत्तीसगढ़ संवाद'' के नाम से देय डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रतियां रहेगा।

दूसरा लिफाफा फाईनेंशियल बिड का होगा जिसमें निर्धारित प्रारूप में दरें होंगी। दोनों लिफाफों में सामने टेक्निकल बिड एवं फाईनेंशियल बिड लिखा रहेगा।

17. निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में दिनांक 03.11.2020 को अपरान्ह 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में जमा की जा सकती है। निविदा इसी दिनांक 03.11.2020 को सायं 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे। टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेज ही मान्य होगा। बाद में प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
18. न्यूनतम निर्धारित दरों पर वाहन किसी भी एजेंसी से लेने का अधिकार संबंधित विभाग का रहेगा।
19. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी की होगी, अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा अन्य एजेंसी से वाहन प्राप्त किया जाएगा। उक्त निविदा में स्वीकृत दर तीन वर्ष के लिए होगी। फर्म की सेवा संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को रहेगा।
20. यह निविदा मात्र वाहन किराया दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु मांगी जा रही है। निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जाएगी। योग्य पाये गए फर्मो से निविदा के न्यूनतम दरों पर कार्य करने की सहमति प्राप्त कर सहमत फर्मो को इम्पैनल्ड किया जाएगा।
21. निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।
22. निर्धारित प्रारूप में 50 रूपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है और सत्यापन के समय कोई प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले तीन वर्षों तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
23. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
24. उक्त निविदा के नियम शर्तों, तिथि या अन्य किसी प्रकार की संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट **http://samvad.cg.nic.in/** में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

25. फर्म को जीएसटी अनिधिनियम के तहत नियत समय में जीएसटी भुगतान कर जीएसटी रिटर्न जमा करना होगा। फर्म को अमानत राशि की वापसी एवं अंतिम देयक के भुगतान पूर्व जीएसटी विभाग से कर बाकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराना होगा।

26. निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

27. वाहन किराये के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अंतिम निपटारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

28. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालीयन क्षेत्र रायपुर, छ.ग. होगा।

29. प्रथम निविदा क्र. 571 दिनांक 22.06.2020 में निविदा के निर्धारित तिथि दिनांक 24.08.2020 को भाग लिए गए योग्य फर्मों को पुनः दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उसी दस्तावेजों को स्वीकार की जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

वाहन किराया हेतु निविदा दरें

क्र.	वाहन का विवरण	प्रतिदिन का किराया (100 कि.मी. सहित) रूपये	प्रतिमाह का किराया (3000 कि.मी. सहित) रूपये	अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर रूपये
1.	टाटा सूमो/ विक्टा/बोलेरो ए.सी.			
	टाटा सूमो/विक्टा/बोलेरो नान ए.सी.			
2.	तवेरा/स्कार्पियो/इंडिगो ए.सी.			
	तवेरा/स्कार्पियो/इंडिगो नान ए.सी.			
3.	इंडिका विस्टा/विस्टा/सेन्ट्रो ए.सी.			
	इंडिका विस्टा/विस्टा/सेन्ट्रो नान ए.सी.			
4.	एसेंट/होण्डा सिटी ए.सी.			
	एसेंट/होण्डा सिटी नान ए.सी.			
5.	इनोवा ए.सी.			
6.	इनोवा क्रिस्टा			
7	सीयाज जे.एक्स.आई. प्लस ए.सी.			
8	ब्रेन्जा/क्रेटा/नेक्शा इग्निश/ स्वीफ्ट डिजायर ए.सी.			
9	फार्चुनर ए.सी.			
10	ईटियोस (टोयटा)/फोर्ड एस्पायर/होन्डा अमेज ए.सी.			
11	फोर्ड फिगो/ईटियोस लीवा/होन्डा जैज ए.सी.			
12	टाटा जेस्ट/टाटा टिगोर ए.सी.			
13	मारूती अर्टिगा/एस क्रोस/बलेनो ए.सी.			

हस्ताक्षर

नाम/फर्म का नाम

पूर्ण पता.........................

....

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं——————————संस्था प्रमुख निवासी ————————————छग संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने एवं छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले तीन वर्षों तक के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान ——————

दिनांक ——————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर